"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 229-अ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 जून 2018 — आषाढ़ 5, शक 1940

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 जून 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014. — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 3 के खण्ड (छ) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जिलाधीश की शक्तियों के निर्वहन के लिए, सभी अनुविभागीय अधिकारियों (उप-जिलाधीश/संयुक्त जिलाधीश) को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर भू-अर्जन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए पदाभिहित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 26th June 2018

NOTIFICATION

No. F 4-28/Seven-1/2014. — In exercise of the powers conferred by clause (g) of Section 3 of the Right to fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, Designates all Sub-Divisional Officers (Deputy Collector/Joint Collector) to perform powers of the Collector under sub-section (2) of Section 15 of the said Act for disposal of cases relating to land acquisition within their respective jurisdiction.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. NIHALANI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.